बच्चों के हित में किसी वर्ष में किए गए सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्कीम

परिचय

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1979 को 'अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष' के रूप में घोषित किया था । जैसा कि 21 दिसम्बर, 1976 की संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प में प्रतिपादित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) बच्चों की ओर से पक्ष समर्थन के लिए तथा निर्णय लेने वाले लोगों तथा आम जनता की ओर से विशेष जरूरतों वाले बच्चों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए रूपरेखा प्रदान करना ।

(ख) इस तथ्य की स्वीकृति बढ़ाना कि बच्चों के लिए कार्यक्रम आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं के अभिन्न अंग होने चाहिएं ताकि दीर्घ अवधि एवं लघु अवधि दोनों में राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर बच्चों के लाभ के लिए स्थायी रूप से गतिविधियां आयोजित की जा सकें ।

2. बच्चों के हित को बढ़ावा देने तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राष्ट्रों में से भारत एक राष्ट्र है, जिसकी वजह से वर्ष 1979 को अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में घोषित किया गया । बच्चों के हितों को बढ़ावा देने तथा बच्चों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों पर अधिक जोर देने का कार्य केवल वर्ष 1979 तक सीमित नहीं था । नि:संदेह: अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष वृहत आयाम के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा बच्चों के हित के लिए देश में अधिक जागरुकता लाने के लिए एक जम्पिंग बोर्ड था ।

3. बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए देश के समग्र प्रयासों में स्वैच्छिक प्रयासों का एक विशेष स्थान है । अनेक स्वैच्छिक संगठन इस कार्य में पहले से ही लगे हुए हैं । देश में स्वैच्छिक कार्रवाई के आयाम एवं इसकी अहमियत में समय के साथ बढ़ोतरी होने की उम्मीद है ।

4. बच्चों के हित के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को राज्य की ओर से पहचान प्रदान करने की पद्धति के रूप में भारत सरकार ने 1979 में देश में बच्चों के हित में स्वैच्छिक प्रयासों को राजकीय पहचान प्रदान करने की स्कीम शुरू की ।

5. समय-समय पर संशोधित इस स्कीम के तहत अब (i) तीन व्यक्तियों जिन्होंने बच्चों के हित में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है; और (ii) पाँच संस्थाओं जिन्होंने बाल कल्याण के किसी क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है, को पुरस्कार देने की परिकल्पना है ।

कार्यक्षेत्र

6. किसी विशेष वर्ष में बच्चों के हित के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा बच्चों के हित के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को अलग-अलग पुरस्कार दिए जाएंगे । इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है कि किसी व्यक्ति तथा संस्था को उसी वर्ष में पुरस्कार दिया जा रहा है जिससे वह व्यक्ति जुड़ा है ।

पुरस्कारों का स्वरूप

7. प्रत्येक व्यक्ति के लिए पुरस्कार के तहत निम्नलिखित शामिल होंगे :

I. 1,00,000/- (एक लाख) रुपये का नकद पुरस्कार

II. प्रशस्ति पत्र

8. प्रत्येक संस्था के लिए पुरस्कार के तहत निम्नलिखित शामिल होंगे :

I. 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये का नकद पुरस्कार

II. प्रशस्ति पत्र

चयन की प्रक्रिया

9. शुरू में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियुक्त समिति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में व्यक्तियों एवं संस्थाओं के बीच से उनका चयन करेगी । इस समिति की संरचना की जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पर छोड़ दी जाएगी । वे राष्ट्रीय चयन समिति की संरचना के पैटर्न को ध्यान में रख सकते हैं ।

10. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की चयन समिति समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में चयन करेगी ।

11. एक राष्ट्रीय समिति अंतिम चयन करेगी, जिसकी संरचना इस प्रकार है :

1.	महिला एवं बाल विकास मंत्री	अध्यक्ष
2.	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
3.	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	अध्यक्ष, भारतीय बाल कल्याण परिषद	सदस्य
7.	अध्यक्ष, भारतीय बाल रोग अकादमी	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सचिव

12. प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन हर साल 31 जुलाई तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अपनी सिफारिश अग्रेषित करेंगे । संस्तुत संस्थाओं के विवरण अनुलग्नक-क में दिए गए प्रारुप में प्रस्तुत करना चाहिए तथा व्यक्तियों के विवरण अनुलग्नक-ख के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए । 31 जुलाई के बाद प्राप्त सिफारिशों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

संस्थाओं के चयन के मानदंड

13. संस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जो सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित न हो । वे सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली संस्था या अन्यथा हो सकती हैं । संस्थाएं कुछ साल से बाल कल्याण के क्षेत्र में होनी चाहिए तथा इस संबंध में उनका अच्छे निष्पादन का रिकार्ड होना चाहिए । स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संस्थाओं की

शाखाओं को भी पुरस्कार के लिए चयन के मानदंडों को पूरा करना होगा । चयन केवल निष्पादन की गुणवत्ता तथा संस्था द्वारा सेवित बच्चों की संख्या के आधार पर किया जाएगा ।

व्यक्तियों के लिए

14. पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले व्यक्तियों द्वारा कुछ वर्षों से बच्चों के हित के लिए काम किया गया होना चाहिए । संस्थाओं के वेतनभोगी अधिकारी चयन के लिए पात्र नहीं होंगे । चयन का एकमात्र आधार बच्चों के हित के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता तथा बच्चों के हितों के लिए इसका महत्व होगा ।

पुरस्कार की तिथि

15. पुरस्कारों की घोषणा हर साल अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस – 14 नवम्बर को की जाएगी तथा किसी भी सुविधाजनक तिथि एवं समय पर नई दिल्ली में दिए जाएंगे ।

पुरस्कार प्रदान करने की प्रक्रिया

16. पुरस्कार के लिए चुने गए व्यक्ति तथा चुनी गई संस्थाओं की ओर से संस्थाओं के प्रतिनिधि निजी तौर पर पुरस्कार ग्रहण करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उनको यात्रा व्यय तथा दैनिक भत्ता/वास्तविक व्यय का भुगतान किया जाएगा ।

अनुलग्नक-क

वर्ष हेतु राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के लिए संस्थाओं का विवरण

1 (i) नाम
(हिंदी और अंग्रेजी में)
(ii) पत्राचार का पता
(iii) टेलीफोन
(iv) पदनाम के साथ संपर्क व्यक्ति का नाम
(v) ई-मेल का पता
(vi) फैक्स नं.
(vii) आधार नम्बर

2. स्थापना का वर्ष

3. संस्था द्वारा किए गए कार्य का क्षेत्र एवं स्वरूप, संस्था द्वारा सेवित स्थानों सहित संस्था द्वारा किए गए कार्य का विवरण

4. संस्था के कार्य का गुणवत्ता की दृष्टि से मूल्यांकन, क्या संस्था राज्य सरकार या केंद्र सरकार से सहायतानुदान प्राप्त करती है और यदि हां तो उसका ब्यौरा (पिछले तीन वर्षों के लिए)

5. क्या पूर्व में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा या अन्यों द्वारा संस्था का दौरा किया गया है और यदि हां तो दौरा करने वाले अधिकारियों की टिप्पियां

6. राज्य के किसी अधिकारी द्वारा नवीनतम निरीक्षण रिपोर्ट

7. विस्तृत अभ्युक्तियां

टिप्पणी : पिछले दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट, संगम ज्ञापन/अनुच्छेद तथा इसी तरह के दस्तावेज भेजे जाएं।

अनुलग्नक-ख

राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के लिए व्यक्तियों का विवरण

(पासपोर्ट आकार के दो सत्यापित फोटो संलग्न करें)

1. (i) नाम
   (हिंदी और अंग्रेजी में)
   (ii) जन्मतिथि
   (iii) जन्म का स्थान
   (iv) प्रायोजक
   (v) शैक्षणिक योग्यता
   (vi) पता
   (vii) टेलीफोन नं./मोबाइल नं.
   (viii) फैक्स नं.
   (ix) आधार नम्बर
2. संस्था जिससे व्यक्ति जुड़ा है तथा जुड़ाव का स्वरूप
3. गतिविधियों का क्षेत्र
4. निष्पादन के स्थान एवं क्षेत्र तथा बच्चों की संख्या सहित व्यक्ति के निष्पादन का विवरण
5. व्यक्ति के निष्पादन को किस तरह उत्कृष्ट के रूप में आंका गया है/प्रेस की कतरन/प्रमाण पत्र आदि
6. संस्था के वित्त पोषण का स्वरूप जिसके माध्यम से व्यक्ति ने काम किया है : (गत तीन वर्षों का ब्यौरा)
   I. केंद्र सरकार
   II. राज्य सरकार
   III. अन्य स्रोतों से
7. समुदाय से व्यक्ति द्वारा जुटाई गई राशि
8. अभी तक प्राप्त पुरस्कार
9. संक्षिप्त जीवन परिचय
10. व्यक्ति के कार्य के संबंध में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी की रिपोर्ट
11. सरकार/अन्य अभिकरणों द्वारा प्रायोजित, ब्यौरे सहित
12. कब से बाल कल्याण गतिविधियों में जुड़ा है